इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273] भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 अगस्त 2020—भाद्र 9, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-ए-3-06-2020-1-पांच (46) भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 31—क में उप—नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) लाटरी के प्रदाय का मूल्य टिकिट के अंकित मूल्य का या आयोजनकर्ता राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित मूल्य । जाएगा जो 100/128 जो भी उच्चतर हो।

स्पष्टीकरणः– इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए पद "आयोजनकर्ता राज्य" का वही अर्थ होगा जो लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (च) में उस के लिए समनुदेशित किया गया है।

2. यह संशोधन 1 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

क्र. एफ–ए–3–06–2020–1–पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ–ए–3–06–2020–1–पांच (46), दिनांक 31 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

No. F-A-3-06-2020-1-V(46) Bhopal, the 31st August 2020

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, in rule 31 A, for sub rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) The value of supply of lottery shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the Organising State, whichever is higher.

Explanation:- For the purposes of this sub-rule, the expression "Organising State" has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010.".

2. This amendment shall be deemed to have come into force from 1st March, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.